दिनांक- 28.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 262/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/कार्यालयों पर व्यापक स्वच्छता एवं शस्त्र रख-रखाव अभियान संचालित, स्वच्छता का दिया गया संदेश

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों, कार्यालयों एवं पुलिस बैरकों में स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया।
- उक्त अभियान के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना परिसरों, कार्यालयों, बैरकों, शस्त्रागारों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।
- निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी थानों द्वारा समन्वित रूप से अभियान चलाते हुए थाना परिसर, आवासीय बैरकों, कार्यालय कक्षों एवं सार्वजनिक स्थलों की व्यापक साफ-सफाई की गई। साथ ही शस्त्रों की विधिवत साफ-सफाई एवं रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने हेतु आवश्यक निरीक्षण भी किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखना, कर्मियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण स्थापित करना है।
- महोबा पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वच्छता एवं रख-रखाव के मानकों का निरंतर पालन किया जाए, जिससे जनपद में बेहतर पुलिसिंग के साथ-साथ एक अनुशासित एवं प्रभावी कार्यसंस्कृति विकसित हो सके।

☞ स्वच्छता, अनुशासन एवं तत्परता—महोबा पुलिस जनसेवा एवं सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

दिनांक- 28.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 263/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़ थाना पनवाड़ी

थाना पनवाड़ी की पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में एवं थानाध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पनवाड़ी जनपद महोबा के निर्देशन में गठित टीम द्वारा वाछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में उ0नि0 पवन गौड़ मय हमराह रि0का0 नीतेश कुमार द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त चेतराम पुत्र बीरवल बढ़ई, निवासी ग्राम नटर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0नं0 601963/11, मु0अ0सं0 556/11 धारा 279/337 भा.दं.सं. व 184 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत ग्राम नटर्रा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

चेतराम पुत्र बीरवल बढ़ई, निवासी ग्राम नटर्रा थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 पवन गौड़, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा
2.रि0का0 नीतेश कुमार, थाना पनवाड़ी जनपद महोबा

दिनांक- 28.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 264/26

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी थाना चरखारी

महिला चौकी चरखारी मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से दाम्पत्य विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान, काउंसलिंग उपरांत साथ रहने पर सहमति।

❖ पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के नेतृत्व में महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में महिला चौकी चरखारी द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

❖ दिनांक 24.06.2026 को आवेदिका श्रीमती सरोज पत्नी श्री विजय, निवासी मोहल्ला तिलवापुर, थाना चरखारी, जनपद महोबा द्वारा महिला चौकी पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि उनके पति एवं ससुरालीजन उनके प्रति उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वह विगत दो माह से अपने मायके में निवास कर रही हैं।

❖ प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में आवेदिका, उनके पति तथा अन्य पारिवारिक सदस्यों को महिला चौकी पर बुलाया गया, जहां दोनों पक्षों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुना गया एवं उन्हें परस्पर सहिष्णुता, विश्वास एवं सम्मान के महत्व के बारे में समझाया गया।

❖ मिशन शक्ति केन्द्र/महिला हेल्पडेस्क टीम द्वारा गहन काउंसलिंग किए जाने के उपरांत दोनों पक्षों के मध्य सकारात्मक संवाद स्थापित हुआ, जिसके फलस्वरूप पति-पत्नी ने अपने समस्त मतभेद समाप्त कर सौहार्दपूर्ण ढंग से साथ रहने की सहमति व्यक्त की।

❖ आवेदिका श्रीमती सरोज द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वह इस प्रकरण में किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं चाहती हैं, काउंसलिंग के सकारात्मक परिणामस्वरूप परिवार में पुनः शांति एवं सामंजस्य स्थापित हुआ।

❖ उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल का परिणाम है, जिससे महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक समरसता के प्रति जनविश्वास सुदृढ़ हुआ है।

दिनांक- 28.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 265/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर थाना कबरई

थाना कबरई मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से दाम्पत्य विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान, काउंसलिंग उपरांत भविष्य में विवाद न करने पर सहमति।

❖ पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक विवादों के निस्तारण हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

❖ आज दिनांक 28/06/2026 को थाना कबरई पर आवेदिका पूजा पत्नी अजय, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा द्वारा अपने पति अजय पुत्र स्वर्गीय नाथूराम, उम्र लगभग 30 वर्ष के विरुद्ध गाली-गलौज एवं विवाद करने संबंधी शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

❖ प्राप्त प्रार्थना पत्र के क्रम में दोनों पक्षों को थाना पर स्थापित मिशन शक्ति केन्द्र पर बुलाया गया, जहां मिशन शक्ति टीम द्वारा दोनों पक्षों की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया एवं उन्हें समझाया-बुझाया गया।

❖ काउंसलिंग के दौरान दोनों पक्षों को आपसी सम्मान, संवाद एवं शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन के महत्व के बारे में बताया गया तथा विवाद को समाप्त करने हेतु प्रेरित किया गया।

❖ काउंसलिंग उपरांत दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद, गाली-गलौज अथवा विवाद नहीं किया जायेगा। दोनों पक्षों द्वारा उक्त समझौते पर सहमति व्यक्त करते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से जीवनयापन करने का आश्वासन दिया गया।

❖ उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल का परिणाम है, जिससे महिला सुरक्षा एवं पारिवारिक समरसता के प्रति जनविश्वास सुदृढ़ हुआ है।

दिनांक- 28.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 266/26

महोबा पुलिस

सर्किल – नगर, थाना – कोतवाली नगर

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना कोतवाली नगर के विवेचकों का अर्दली रूम, विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा कर दिए गए सख्त दिशा-निर्देश...।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड द्वारा थाना कोतवाली नगर के समस्त विवेचकों का अर्दली रूम किया गया।
- अर्दली रूम के दौरान विवेचना, NCR, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अपहृता/गुमशुदा व्यक्तियों की बरामदगी, पंचायतनामा जांच, IGRS जांच एवं शिकायत प्रार्थना पत्रों के निस्तारण की विस्तृत समीक्षा की गई।
- क्षेत्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी लंबित विवेचनाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाए तथा NCR प्रकरणों को भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।
- वांछित अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, अपहृता/गुमशुदा व्यक्तियों की त्वरित बरामदगी एवं पंचायतनामा कार्यवाही को विधिसम्मत एवं पारदर्शी तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
- IGRS प्रकरणों एवं प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने, साथ ही NBW (गैर जमानती वारंट) का शत-प्रतिशत तामिला कराने हेतु सख्त निर्देश दिए गए।
- इसके अतिरिक्त निरोधात्मक कार्यवाही को प्रभावी रूप से लागू करने, संवेदनशील प्रकरणों में विशेष सतर्कता बरतने एवं अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख-रखाव पर विशेष जोर दिया गया।
- क्षेत्राधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया कि कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही, शिथिलता अथवा अनावश्यक विलंब कदापि स्वीकार्य नहीं होगा। प्रत्येक विवेचक अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, जिम्मेदारी एवं समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करें।